प्रेस नोट - थाना कोतवाली

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक – 19.11.2026

स्पाइस मनी कम्पनी के कलेक्शन एजेंट द्वारा कम्पनी की धनराशि हड़पने के उद्देश्य से रची गई 06 लाख 49 हजार रुपये की झूठी लूट की घटना का पुलिस टीमों द्वारा 06 घण्टे के अंदर किया गया सफल अनावरण

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के नेतृत्व में चिन्हित अपराधियों की गिरफ्तारी, वांछित/वारण्टी एवं जिला बदर अपराधियों की तलाश, अवैध शराब एवं अवैध शस्त्रों के विरुद्ध कार्रवाई, अफीम एवं चरस की बिक्री/निर्माण की रोकथाम तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं गश्त हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 19.11.2026 को समय 11:07 बजे स्पाइस मनी कम्पनी के एजेंट अयाज मोहम्मद खान पुत्र इफ्तखार मोहम्मद खान नि0 मोहल्ला महमद हद्दफ, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा डायल-112 पुलिस को सूचना दी गई कि वह स्पाइस मनी लिमिटेड कम्पनी की धनराशि ₹6,49,000/- (छह लाख उनचास हजार रुपये) बैंक में जमा करने जा रहा था। इसी दौरान नगर पालिका ककरा खुर्द के पास दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा उक्त धनराशि लूट ली गई।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उच्चाधिकारीगण को अवगत कराया गया तथा आरटी सेट के माध्यम से जनपद के सभी डेल्टा वाहनों को अलर्ट करते हुए विभिन्न मार्गों पर सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के नेतृत्व में अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गईं। प्रथम पुलिस टीम को घटनास्थल पर आने-जाने वाले मार्गों के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने, द्वितीय टीम को साइबर/सर्विलांस प्रभारी के नेतृत्व में सूचनाकर्ता के मोबाइल की लोकेशन, सीडीआर एवं बैंक ट्रांजेक्शन आदि का विवरण प्राप्त कर विश्लेषण करने, तृतीय टीम को एसओजी प्रभारी के निर्देशन में सूचनाकर्ता द्वारा विगत एक सप्ताह में किए गए कलेक्शन एवं जमा धनराशि के संबंध में जानकारी एकत्र करने तथा चतुर्थ टीम को प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के नेतृत्व में सूचनाकर्ता के घर के आसपास के लोगों से गोपनीय रूप से पूछताछ कर उसके परिवार के आर्थिक स्रोतों की जानकारी प्राप्त करने हेतु लगाया गया। इसके अतिरिक्त अपराध निरीक्षक थाना कोतवाली, चौकी प्रभारी पाखड़ एवं चौकी प्रभारी अजीजगंज के नेतृत्व में एक अन्य टीम गठित कर सूचनाकर्ता से लगातार पूछताछ एवं अन्य टीमों के साथ समन्वय स्थापित कर घटना के संबंध में जानकारी एकत्र की गई।

समस्त पुलिस टीमों द्वारा एकत्रित सूचनाओं एवं सूचनाकर्ता अयाज मोहम्मद खान से की गई पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आए कि अयाज एक फिनटेक कम्पनी का कलेक्शन एजेंट था। उक्त कम्पनी द्वारा उसे कार्य करने हेतु

पूर्व में 10 लाख रुपये की ओवरड्राफ्ट लिमिट प्रदान की गई थी, परंतु उसके द्वारा कम्पनी को कम बिजनेस दिए जाने के कारण कम्पनी ने उसकी ओवरड्राफ्ट लिमिट 05 लाख रुपये कम कर दी थी। इसी दौरान अयाज गलत आदतों में पड़ गया तथा कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए गए पैसों से उसके द्वारा एक प्लॉट भी खरीद लिया गया था। लगातार बिजनेस में 20-25 हजार रुपये का नुकसान होने के कारण अब तक उसे लगभग 05 लाख रुपये का नुकसान हो चुका था, जो कम्पनी द्वारा दी गई ओवरड्राफ्ट लिमिट के बराबर था। वह कम्पनी की धनराशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं था तथा कम्पनी के कलेक्शन हेड द्वारा लगातार उससे धनराशि जमा करने के लिए कहा जा रहा था, जबकि अयाज द्वारा केवल धनराशि जमा करने का आश्वासन दिया जा रहा था।

इसी क्रम में दिनांक 19.11.2026 को समय लगभग 10:08 बजे कम्पनी के कलेक्शन हेड द्वारा धनराशि जमा न करने की स्थिति में ओवरड्राफ्ट लिमिट समाप्त करने एवं विधिक कार्यवाही किए जाने की चेतावनी दिए जाने पर अयाज परेशान हो गया। इसके बाद उसके मन में कम्पनी की धनराशि हड़पने के उद्देश्य से लूट की झूठी कहानी गढ़ने की योजना आई, जिससे उसे कम्पनी की धनराशि वापस न करनी पड़े तथा कम्पनी एवं समाज के लोग उसे पीड़ित समझें।

उक्त सूचना की गंभीरता एवं घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए गठित पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि सूचनाकर्ता अपने घर से समय 10:08 बजे निकलने के बाद बंधन बैंक न जाकर थाना कोतवाली क्षेत्र में स्थित अंकित की दुकान पर समय 10:27 बजे पहुंचा। घर से अंकित की दुकान तक की दूरी तय करने में उसे 19 मिनट का समय लगा। इसके बाद वह समय 10:29 बजे अंकित की दुकान से निकला, जबकि अंकित की दुकान से घटनास्थल की दूरी लगभग 01 किलोमीटर है। सूचनाकर्ता द्वारा बताए गए घटनाक्रम के अनुसार उसे घटनास्थल पर समय 11:05 बजे पहुंचना बताया गया, जबकि इस दूरी को तय करने में लगभग 36 मिनट का समय लगा। घटनास्थल के आसपास लगातार राहगीरों का आवागमन भी पाया गया। एसओजी एवं सर्विलांस टीम द्वारा लगातार पूछताछ, मोबाइल लोकेशन एवं सीडीआर का विश्लेषण किया गया, जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत हुई।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा सूचनाकर्ता के घर के आसपास के लोगों से गोपनीय रूप से पूछताछ की गई तो जानकारी प्राप्त हुई कि सूचनाकर्ता द्वारा कुछ समय पूर्व 1.70 हजार रुपये का प्लॉट खरीदा गया था तथा उसे पुनः बेचने का प्रयास किया जा रहा था। समस्त पुलिस टीमों के आपसी समन्वय एवं गहन पूछताछ के दौरान सूचनाकर्ता अयाज मोहम्मद खान द्वारा स्वीकार किया गया कि वह पैसों की तंगी से परेशान था। इसी कारण वह घर से एक खाली बैग लेकर निकला था, जिसमें कुछ कागज के टुकड़े रखे हुए थे। पूर्व नियोजित योजना के अनुसार वह अंकित की दुकान पर पहुंचा तथा उसे बताया कि उसके पास 06 लाख 49 हजार रुपये हैं और वह उन्हें बैंक में जमा करने जा रहा है। इसके बाद ककरा पुल पर पहुंचकर उसने अपना बैग झाड़ियों में फेंक दिया तथा कुछ दूरी पर एक सुनसान स्थान, जहां आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, पर जाकर जोर-जोर से रोने एवं चीखने-चिल्लाने लगा तथा राहगीरों को अपने साथ लूट होने की बात बताने लगा। इसके बाद उसने समय 11:07 बजे डायल-112 पर लूट की झूठी सूचना दी।

इस प्रकार उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में पुलिस टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों, गोपनीय जानकारी एवं गहन पूछताछ के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए लूट की झूठी घटना का सफल अनावरण किया गया। सूचनाकर्ता/अभियुक्त अयाज मोहम्मद खान की निशानदेही पर उसके द्वारा झाड़ियों में फेंका गया पिट्ठू बैग बरामद किया गया, जिसमें कोरे कागज, पैड, पेन, बैंक बाउचर एवं रबर आदि सामान बरामद हुआ। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोबाइल फोन भी बरामद किया गया।

सूचनाकर्ता/अभियुक्त अयाज मोहम्मद खान द्वारा किए गए उक्त कृत्य के संबंध में फिनटेक कम्पनी के कलेक्शन हेड की तहरीर पर मु0अ0सं0 420/26 धारा 318(4)/316(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

अयाज मोहम्मद खान पुत्र इफ्तखार मोहम्मद खान नि0 मोहल्ला महमद हद्दफ, थाना सदर बाजार, शाहजहाँपुर उम्र 42 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 420/2026 धारा 318(4)/316(5) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अदद पिट्ठू बैग जिसमे (कोरे कागज, पैड व पैन, बैंक बाऊचर व रबड़)

2.एक अदद मोबाइल फोन

अनावरण/गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :-

1. श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर।
2. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार राय।
3. एसओजी शाहजहाँपुर मय पुलिस टीम।
4. सर्विलांस सेल मय पुलिस टीम।
5. साइबर सेल मय पुलिस टीम।
6. उ0नि0 विशेष कुमार।
7. उ0नि0 प्रदीप चौधरी।
8. हे0का0 अनिल कुमार।
9. हे0का0 मुनीम मलिक।
10. का0 रोहित कुमार।
11. का0 अंकुश।
12. का0 प्रवीण कुमार।
13. का0 मुनेश कुमार।
14. का0 गवेन्द्र।
15. का0 सार्थक कुमार।
16. का0 नवनीत कुमार।
17. का0 श्रीकांत यादव।